कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–: आदेश :–

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाचार्य की वर्ष 2021–22 **डीपीसी उपरांत** 2105 कार्मिकों का चयन किया गया, जिनके **चयन संबंधी विभागीय आदेश** दिनांक 11-07-2022 द्वारा जारी किया गया है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाईट पर तत्समय अपलोड की जा चुकी हैं। उक्त डीपीसी के सन्दर्भ में तथा भविष्य में आयोजित होने वाली ऑनलाईन काउन्सलिंग के सन्दर्भ में निम्नानुसार आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1 विभाग द्वारा नवाचार के तहत काउन्सलिंग प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है, उक्त ऑनलाईन प्रक्रिया को शाला–दर्पण के माध्यम से स्टॉफ लॉगिन से संचालित किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को स्टॉफ लॉगिन के माध्यम से चयनित किए गए विद्यालयों को वरीयता के अनुसार आवंटन हेतु स्टॉफ लॉगिन पर विद्यालय चॉइसेज (पदस्थापन हेतु इच्छित विद्यालय का चयन कर) लॉक किया जाना आवश्यक है।

2 उक्त ऑनलाईन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी द्वारा यदि स्टॉफ लॉगिन से विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को काउन्सलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं माना जायेगा तथा समस्त लॉक करने वाले अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पश्चात्, उनकी वरीयता के क्रम में विद्यालय का रेण्डम (राजस्थान में कहीं भी) आवंटन किया जायेगा।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:: शिविरा/माध्य/संस्था/बी–1,2/डीपीसी/2021–22/प्रधानाचार्य/2022 दि0 : 29-10-2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव–स्कूल शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान–सरकार, जयपुर
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान–सरकार, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, राजस्थान–सरकार, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. समस्त संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा/ समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा।
8. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित ब्लॉक।
9. संबधित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
11. **सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।**
12. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनिय प्रतिवेदन/वि0 जांच/डीपीसी/संस्था–सी ओएसी अनुभाग कार्यालय हाजा
13. निजी एवं रक्षित पत्रावली हेतु।

सयुक्त निदेशक–कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Created By: Sign Doc